भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 317

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2025

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार

317. श्री जगदीश चंद्रा बर्मा बसुनियाः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2014 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज मामलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित मामलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी को दोषी ठहराया गया है और यदि हां, तो वर्ष 2014 से वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों का रिकॉर्ड राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा रखा जाता है। एनसीआरबी ने सूचित किया है कि उनके पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों की संख्या के संबंध में सूचना नहीं है।

*****